"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2013—कार्तिक 3, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक 904/615/अव./2013/1-8/स्था.—श्री चन्द्रशेखर ओंकार (रा.वि.से.), अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 19-08-2013 से 24-08-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18, 25-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर ओंकार, **आगामी आदेश तक** अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ओंकार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओंकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक 906/567/अव./2013/1-8/स्था.—श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 22-07-2013 से 27-07-2013 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20, 21, 28-07-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जय नारायण अवस्थी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2013

क्रमांक 956/600/अव./2013/1-8/स्था.—श्री ए. एच. सिद्दिकी, अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग को दिनांक 02-08-2013 से 08-08-2013 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09-08-2013 से 20-08-2013 तक 12 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21-08-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. सिद्दिकी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह (जेल) विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्दिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्दिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 9-10/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अरूण कुमार चांदे, सेवानिवृत्त अवर सचिव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4(3) के तहत, मंत्रालय के सेटअप में अन्य संवर्ग के लिए स्वीकृत अवर सचिव के रिक्त पदों में से एक पद को संविदा का पद घोषित करते हुए उक्त पद पर श्री चांदे को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा उक्त पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा पर नियुक्त करता है.

2. उक्त संविदा नियुक्ति पर श्री अरूण कुमार चांदे को अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. श्री चांदे की संविदा नियुक्ति की शर्तें संविदा नियम, 2012 के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार रहेगी.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक 1000/671/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30-09-2013 से 11-10-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14-10-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक 9263/3095/21-ब/छ.ग./2013 .—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती सीमा तिवारी, अधिवक्ता, भानुप्रतापपुर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिये उन्हें भानुप्रतापपुर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा अवधि पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद् 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक 9265/2727/21-ब/छ.ग./2013 .—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजकुमार उपाध्याय, अधिवक्ता, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिये उन्हें रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद् 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक 9267/3129/21-ब/छ.ग./2013 .—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्याम कृष्ण सहाय, अधिवक्ता, जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.) को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष

के लिए परिवीक्षा पर शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिये उन्हें जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद् 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक 9271/2425/21-ब/छ.ग./2013 .—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय सोनी, अधिवक्ता, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कवर्धा के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें उसी अवधि के लिये कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद् 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक 9310/2952/21-ब/छ.ग./2010.—राज्य शासन द्वारा श्री प्रकाश चेलक नोटरी, पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 3-62/दो-गृह/2008.—राज्य शासन, एतद्द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 सेक्शन-1 की कंडिका-1 में प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार को छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक 1176/वित्त/चार/ब-4/2013.—छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) की धारा 7 की उपधारा (5) के खण्ड (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा "वन्यजीवों के रहवास क्षेत्र का विकास" प्रयोजन को वन विकास उपकर निधि में जमा राशि के उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक 1177/वित्त/चार/ब-4/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1176/वित्त/चार/ब-4/2013, दिनांक 03 अक्टूबर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd October 2013

No. 1176/Fin/IV/B-4/2013.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (5) of section 7 of the Chhattisgarh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982), the State Government hereby specifies the purpose of "Development of Wildlife Habitats" for the utilization of amount deposited in Forest Development Cess Fund.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C. J. KHATRI, Joint Secretary.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 8-6/2013/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य जनों में वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनके प्रति स्नेह एवं सह अस्तित्व की भावना विकसित करने तथा जन सहभागिता के साथ वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के चिड़ियाघरों के जानवरों को गोद लिए जाने के संबंध में निम्नानुसार योजना स्वीकृत की जाती है.

2. चिड़ियाघरों के जानवरों को गोद लेने के संबंध में योजना का उद्देश्य, प्रक्रिया इत्यादि निम्नानुसार होगी :—

   1. **योजना के उद्देश्य :—** योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य जनता में वन्यप्राणियों के प्रति सद्भाव, स्नेह व सह-अस्तित्व की भावना विकसित करते हुए वन्यप्राणियों के संरक्षण व संवर्धन में सहभागिता सुनिश्चित करना है. इस योजना से सामान्य जनता में उनके द्वारा गोद लिए गए वन्यप्राणियों को करीब से समझने का अवसर प्राप्त होगा एवं उनमें जागरूकता के साथ वन्यप्राणियों के भोजन, प्रजनन, बर्ताव में बदलाव आदि से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी.

2. **प्रक्रिया :—** किसी भी आवेदन के द्वारा चयनित वन्यप्राणी को गोद लेने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी :—

1. किसी भी वन्यप्राणी को गोद लेने के संबंध में "पहले आओ, पहले पाओ" की नीति अपनाई जाएगी.

2. आवेदक द्वारा चयनित वन्यप्राणी के लिये विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में विधिवत् पूर्ण एवं हस्ताक्षरित आवेदन, निर्धारित राशि के शुल्क के साथ संबंधित चिड़ियाघर के प्रभारी वनमंडलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा.

3. अलग-अलग वन्यप्राणियों के लिए संलग्न प्रपत्र-एक में उल्लेखित दरों के आधार पर वन्यप्राणियों को एक दिन अथवा एक वर्ष तक गोद लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी. इन दरों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा.

4. आवेदक के द्वारा कंडिका-3 में उल्लेखित दर के आधार पर, जमा राशि के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी :—

(क) शुल्क की राशि रुपये 10,000/- से रुपये 30,000/- तक.

i. उपरोक्त राशि जमा करने पर आवेदक को पांच व्यक्तियों के साथ वर्ष में एक बार चिड़ियाघर में प्रवेश करने की निःशुल्क अनुमति दी जाएगी.

ii. आवेदक के नाम से वन्यप्राणी गोद लेने संबंधित प्रमाण-पत्र संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.

iii. आवेदक के द्वारा गोद लिए गए वन्यप्राणी के पिंजरे के सामने उनका नाम सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा.

iv. आवेदक के द्वारा चयनित एक वन्यप्राणी को अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक गोद लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

v. गोद लिए गए वन्यप्राणी को आवेदक के द्वारा अपने बच्चों, रिश्तेदारों एवं मित्रों को उपहारस्वरूप हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाएगी. जिसके लिए उन्हें संबंधित वनमंडलाधिकारी को 15 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(ख) शुल्क की राशि रुपये 30,000/- से अधिक.

i. उपरोक्त राशि जमा करने पर आवेदक को पांच व्यक्तियों के साथ वर्ष में एक बार चिड़ियाघर में प्रवेश करने की निःशुल्क अनुमति दी जाएगी एवं आवेदक को चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति के साथ एक टी-शर्ट, कैप प्रदाय किया जाएगा तथा चिड़ियाघर से संबंधित कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा.

ii. आवेदक के नाम से वन्यप्राणी को गोद लेने संबंधित प्रमाण-पत्र संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा.

iii. आवेदक के द्वारा गोद लिए गए वन्यप्राणी के पिंजरे के सामने उनका नाम सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा.

iv. आवेदक के द्वारा चयनित एक वन्यप्राणी को अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक गोद लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी.

v. गोद लिए गए वन्यप्राणी को आवेदक के द्वारा अपने बच्चों, रिश्तेदारों एवं मित्रों को उपहारस्वरूप हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाएगी. जिसके लिए उन्हें संबंधित वनमंडलाधिकारी को 15 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

5. आवेदक द्वारा उनके बजट के अनुसार उपरोक्तानुसार जमा की गई राशि का उपयोग आवेदक के द्वारा चयनित वन्यप्राणी के भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उनके समुचित रख-रखाव के लिए किया जाएगा.

6. आवेदक के द्वारा चिड़ियाघर के प्रबंधन से संबंधित शासकीय शर्तों, निर्देशों एवं नियमों का पालन करना होगा.

7. चिड़ियाघर में उपलब्ध वन्यप्राणियों के गोद लेने से संबंधित सूची में उल्लेखित वन्यप्राणियों को जोड़ने एवं विलोपित करने तथा उनके संबंध में शुल्क निर्धारित करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगे.

8. योजना के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. भट्ट, विशेष सचिव.

प्रपत्र-एक

राज्य के चिड़ियाघरों के जानवरों को गोद लेने संबंधित निर्धारित राशि का विवरण

क्र. (1)	वन्यप्राणी का नाम (2)	वन्यप्राणी की संख्या (3)	दिनों की अवधि (4)	राशि (रुपये में) (5)	वन्यप्राणी की संख्या (6)	वर्षों की अवधि (7)	राशि (रुपये में) (8)
1.	एलीफेन्ट	1	1	1100	1	1	360000
2.	लॉयन	1	1	550	1	1	180000
3.	टाईगर	1	1	550	1	1	180000
4.	हिप्पोपोटामस	1	1	450	1	1	150000
5.	लिपर्ड/पेन्थर	1	1	250	1	1	80000
6.	बियर	1	1	250	1	1	80000
7.	डियर (चौसिंघा, चीतल, कृष्णमृग आदि)	3	1	100	1	1	11000
8.	मंकी	5	1	100	1	1	6500
9.	लंगूर	2	1	100	1	1	16500
10.	कछुआ	10	5	100	1	1	650
11.	पाईथन	1	1	150	1	1	50000
12.	सांप	1	10	100	1	1	3300
13.	हायना	1	1	250	1	1	80000
14.	वोल्फ	10	5	150	1	1	50000
15.	फाक्स/जैकल	3	1	120	1	1	40000
16.	क्राकोडाईल (मगर)	4	1	300	1	1	25000
17.	क्राकोडाईल (घड़ियाल)	4	1	100	1	1	8000
18.	जंगली कैट	2	10	100	1	1	16500
19.	चिड़िया (पिजन, पीफॉल, पेलीकन आदि)	20	1	450	1	1	7500
20.	आऊल	4	5	100	1	1	6600
21.	वाईल्ड बोर	4	4	100	1	1	8250
22.	पिकॉक	3	1	100	1	1	11000
23.	लव बर्ड	15	5	100	1	1	500
24.	पेरोट	10	5	100	1	1	650
25.	कबरबिज्जू	2	10	100	1	1	16500
26.	ऐमू	2	10	100	1	1	16500
27.	साहिल (परक्यूपाईन)	4	4	100	1	1	8250

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-18/2011/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा (विज्ञप्त) भर्ती नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—
अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम (1)	सेवा तथा पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हता (5)
श्रम विभाग	श्रम न्यायिक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय.	25 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि, वकालत में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव.

टीप :— ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं के लिए उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी."

No. F 1-18/2011/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour Judiciary (Gazetted) Service, Recruitment Rules, 1965, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—
For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Service and post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Prescribed educational Qualification (5)
Labour Department	Labour Judiciary Presiding Officer, Labour Court.	25 years	30 years	Bachelor Degree in Law from any recognized University, minimum five years experience in Advocacy.

Note :— the upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time".

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 10-12/2013/16.—कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का संख्यांक 63) की धारा 8 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को उपांतरित किये बिना राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को मुख्य कारखाना निरीक्षक की सहायता करने हेतु, उन्हें अपनी-अपनी प्रशासनिक अधिकारिता में उक्त सारणी के कालम (5) में विनिर्दिष्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम पदाभिधान (2)	नियुक्ति का प्रकार (3)	कार्य सीमा (4)	मुख्य कारखाना निरीक्षक की शक्तियां (5)
1.	1. श्री रज्जू कुमार भोई, सहायक संचालक 2. श्री विजय कुमार सोनी, सहायक संचालक 3. श्री अशुतोष पाण्डेय, सहायक संचालक 4. श्री मनीष कुमार कुंजाम, सहायक संचालक	सहायक मुख्य कारखाना निरीक्षक	सम्पूर्ण राज्य के लिए	छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 7, 9, 10 तथा 12 के अधीन समस्त कारखानों की अनुज्ञप्ति, का क्रमशः नवीनीकरण, संशोधन या हस्तान्तरण करना, जिसमें वे स्थान भी सम्मिलित है जिन्हें कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कारखाना घोषित किया गया है. इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 3ए एवं नियम 6 के अन्तर्गत ऐसे गैर खतरनाक कारखाने जिनमें 20 से अधिक नियोजन न हो के संबंध में अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण करने की शक्तियां.

No. F 10-12/2013/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2-a) of section 8 of the factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) and without superseding of all previous notifications issued in the respect, the State Govt., hereby appoint the officers as specified in column (2) of the table below as Dy. Chief Inspector of Factories to assist the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of Chief Inspector of Factories as specified in column (5) of the said table in their respective administrative jurisdiction, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name & Designation of officers (2)	Nature of Appointment (3)	Area of Jurisdiction (4)	Power of Chief Inspector of Factories (5)
1.	1. Shri Rajju Kumar Bhoi, Asst. Director 2. Shri Vijay Kumar Soni, Asst. Director 3. Shri Aashutosh Pandey, Asst. Director 4. Shri Manish Kumar Kunjam, Asst. Director	Assistant Chief Inspector of Factories	Whole of Chhattisgarh State	Rule 7, 9, 10 & 12 of Chhattisgarh Factories rule 1962 for renewal, amendment and transfer of licence of all factories includes those establishment which are declared factories under section 85 of Factories Act, 1948. In additional to above mentioned powers, powers for approval, licensing and registration of all non hazardous factories employing upto 20 workers, as per provisions of rule 3 A and rule 6 of Chhattisgarh factories rules 1962.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिजौर प. ह. नं. 30	0.54	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	कोनी-मोपका बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	नगोई प. ह. नं. 26	1.23	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	कोनी-मोपका बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	धूमा (साल्हेडबरी) प. ह. नं. 09	2.355	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	साल्हेडबरी जलाशय के बैगापारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्रमांक 28/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	भकुर्रा नवापारा प.ह.नं. 18	0.202	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	समडील एनीकट निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मगरउछला प. ह. नं. 5	1.13	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	कोनी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिरकोना प. ह. नं. 25	0.13	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	कोनी-मोपका बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मंगला प. ह. नं. 14	0.84	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	ओखर एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कनेरी प. ह. नं. 13	1.85	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यप. योजना के अंतर्गत कनेरी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	लिमतरी प. ह. नं. 3	0.39	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत लिमतरी माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पिरैया प. ह. नं. 13	1.14	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत पिरैया माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कुरेली प. ह. नं. 28	2.31	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यप. योजना के अंतर्गत कुरेली माइनर 1 एवं 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्रक्र. 4/अ-82/वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	मोहभट्ठा प. ह. नं. 03	0.91	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर, उरला, पठारी डीह, बेरला, कोदवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 1 अक्टूबर 2013

क्रमांक/अ.भू.अ./प्रक्र. 7/अ-82/वर्ष 2012-2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	चुहका प. ह. नं. 05	0.53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा.	देवरबीजा से खम्हरिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नतिकरण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक/390/क/भू-अर्जन प्र.क्र. 07/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	घटमड़वा प. ह. नं. 25	9.130	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बरॉज निर्माण संभाग क्र. 02, चांपा.	शिवरीनारायण बरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 11 सितम्बर 2013

क्रमांक/392/क/भू-अर्जन/वा./प्र.क्र.-11/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बिलाईगढ़	अलीकूद प. ह. नं. 05	6.614	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जांजगीर-चांपा.	बसंतपुर बैराज निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक 06 क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	जांजगीर	सिवनी प. ह. नं. 50	0.10	कार्यपालन यंत्री (सिविल), भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु (द्वितीय प्रव. प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2012 प्र. क्र. 10 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-दशरमा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
30/1	0.095
37	0.113
229	0.202
38	0.113
809/1	0.040
39	0.073
40	0.081
45	0.146
46	0.138
291	0.090
292	0.060
299/1	0.075
715/1	0.075
766	0.032
49/1	0.150
49/2	0.112
218	0.073
197/3	0.095
47/1-4	0.165
687	0.121
1685	0.048
48	0.409
214	0.101
215	0.162
216	0.113
197/4	0.060
217	0.073
219	0.069
808	0.061
802/1	0.150
807/1-2	0.150
806/1	0.060
805	0.295
813	0.101
220	0.053
221	0.061
206/1	0.353
206/4	0.048
205	0.048
544/3	0.303
204/2-4-6	0.215
200	0.131
201	0.121
299/2	0.101
715/3	0.121
763	0.036
561	0.101
562	0.195
574/3	0.161
747, 748	0.292
563	0.195
564/1	0.081
564/2	0.095
578	0.081
581	0.131
582	0.094
740	0121
749	0.195
810	0.081
811	0,105
580	0.101
737	0.292
738	0.109
765	0.109
764	0.090

	(1)	(2)
	812	0.121
योग	66	8.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बलौदाबाजार बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय के किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 प्र. क्र. 04 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-मगरचबा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.838 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	2	0.170
	7	0.093
	8	0.080
	9	0.070
	11	0.075
	17	0.239
	18	0.045
	19/1	0.160
	19/2	0.040
	20	0.266
	265	0.070
	266	0.090
	269	0.140
	270	0.300
योग	14	1.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खोरसी नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय के किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 8/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-लटकोनीखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.97 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
440	1.25
467	0.22
441	0.28
468	0.08
471/1	4.60
471/2	1.62

	(1)	(2)
	394/3	2.00
	469/2	0.26
	394/2	0.90
	395/2	0.26
	466	0.12
	470	1.78
	394/4	0.90
	396	2.80
	394/1	0.90
योग	15	17.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुरदेवानाला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक 9/अ-82/2011-12 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-कोदवाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.72 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	281	0.18
	282	3.90
	283	0.15
	284	0.32
	296	8.27
	279/2	0.84
	279/1	2.06
योग	7	15.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुरदेवानाला जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक 05 क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-जांजगीर
(ग) नगर/ग्राम-कन्हाईबंद, प.ह.नं. 50
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
193/3	0.28
194/3	0.37
49/2, 50/2	0.42
224/5, 243/7	0.20
542/12	0.22

(1)	(2)
223/2	0.03
209/2ख	0.11
209/1	0.19
योग 9	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेलपथ निर्माण हेतु. (द्वितीय पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-तमनार
 (ग) नगर/ग्राम-तमनार
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-38.783 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
928/3	0.182
939/6	0.494
1014	0.053
1017/1	0.317
990/1ख	0.034
929/1	0.323
929/1	0.299
1057/3	0.060
928/5	0.072
990/3क	0.021
1031/2	0.182
1020/8क	0.344
1010/2क, 1011/2क	0.166
935/2ख	0.263
1024/3	0.089
933/1	0.380
929/2	0.275
942/2	1.011
945/4	0.809
1038/1	0.272
942/1ग	0.204
1033/1	0.324
938/7	0.312
1019/1	0.214
1024/1	0.093
932/1	0.531
1010/2घ	0.129
938/3क	0.162
928/1ख	0.078
1057/1ग	0.121
936/4	0.129
936/1	0.202
1062	0.263
928/6	0.072
990/3ख	0.048
1035/1	0.511
1021/1	0.202
1004/3	0.158
934/2, 935/1/3	0.380
1020/4	0.413
1026	0.526
937/2	0.327
945/6	0.121
928/1क/1	0.336
1037	1.428
942/1ख	0.040
1054/1	0.117
1014	0.206

(1)	(2)	(1)	(2)
1020/5	0.162	939/7	0.243
1034	0.020	1057/1ख	0.121
934/2, 935/1/2	0.393	928/4क	0.226
1011/2घ	0.041	990/2ख	0.032
1015/1	0.056	1010/3ख	0.072
928/1घ	0.044	1019/3	0.040
942/1क	0.263	938/1, 939/3/1	0.238
938/3ख	0.405	1038/2	0.456
1056/2	0.263	935/5क	0.138
945/2	0.458	1020/11क	0.300
990/2क	0.048	1019/2क	0.045
1010/2ख	0.233	938/2	0.054
1017/2क	0.129	1020/7	0.170
934/1क	0.283	1025/5	0.020
932/3	0.202	939/5	0.049
945/5	0.372	1035/2	0.147
1025/3	0.101	985/2	0.230
1028	0.316	1030/1	0.271
930/1	0.243	939/4	0.077
936/1	0.355	1010, 1011/1	0.526
1030/2	0.412	940	0.458
1056/1	0.093	1048	1.574
1057/1क	0.123	1025/1	0.174
1057/2	0.106	989	0.081
1015/2	0.167	1020/8क	0.162
1020/12	0.121	945/3	0.433
944	0.858	932/2	0.101
1020/13	0.172	1055	0.170
1020/10	0.150	945/1	0.033
1036/2ख	0.085	930/2	0.417
935/2क	0.316	1016/1	0.077
1020/2	0.227	1020/14	0.162
1025/2	0.065	938/4	0.304
1029/2	0.125	1020/3	0.101
1004/2	0.247	938/5ख	0.037
1020/8ख	0.162	1036/2क	0.036
987	0.287	1019/2ख	0.044
939/2	0.202	938/6	0.271
984/2	0.174	1020/9	0.405
933/2	0.380	1036/1	0.644
984/3	0.810	1019	0.150
936/3	0.356	1020/1	0.146
1016/2	0.041	986	0.320
1013/1	0.188	1030/3	0.081
941	0.344	928/1क/6	0.154

(1)	(2)
932/4	0.101
934/2, 935/1/1	0.381
1020/11ख	0.141
1025/4	0.101
1009/1	0.093
1024/2	0.235
1029/1	0.129
1049	0.870
1010/1011/2ग	0.129
985/1	0.506
935/3	0.405
943	1.627
1038/2	0.194
योग 151	38.783

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्रमांक/6295/एस. सी. 1/2013—श्री कांतालाल चंद्रवंशी पार्षद वार्ड नं. 6 नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव ने दिनांक 24-8-2013 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर पार्षद पद से त्यागपत्र सौंपा है.

छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40(1) के अंतर्गत प्रस्तुत त्यागपत्र एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 30-8-2013 के अनुक्रम में श्री चंद्रवंशी का त्यागपत्र छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 40 की उपधारा 2 (एक) के अंतर्गत एतद्द्वारा दिनांक 24-8-2013 से स्वीकृत किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अशोक कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2013

विषय :— सदस्य पद का कार्यभार ग्रहण करने बाबत्.

क्रमांक/1251/12/2013-14/स्था.—उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-7/2008/एक/1 दिनांक 02 सितम्बर 2013 के तारतम्य में माननीय सदस्य श्री एम. एस. पैकरा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के सदस्य पद का कार्यभार दिनांक 03-09-2013 को पूर्वान्ह में ग्रहण कर लिया है.

आर. शांडिल्य,
सचिव.